



स्पीड-पोस्ट से

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार
विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम
1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल

जावक क्रमांक 169-70
भोपाल, दिनांक 27/02/2021

प्रकरण क्रमांक एमएसईएफसी/975/2019

आवेदक
मेसर्स एबीएस रिफ्रेक्टरीज प्रा. लि.,
बी-2, न्यू एसीसी कालोनी,
कटनी - 483504
(मध्यप्रदेश)



विरुद्ध अनावेदक
मेसर्स जेएंडके सीमेंट्स लिमिटेड,
किस्टल हाईट्स, जेएंडके बैंक लि. के पीछे,
सोनवार,
श्रीनगर - 190001 (जम्मू एंड काश्मीर)

माध्यस्थम आदेश दिनांक :- 27/1/2021

काउन्सिल के समक्ष आवेदक मेसर्स एबीएस रिफ्रेक्टरीज प्रा. लि., कटनी द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित धारा 30 के अधीन अनावेदक मेसर्स जे एंड के सीमेंट्स लिमिटेड, सोनवार, श्रीनगर (जम्मू एंड काश्मीर) के विरुद्ध अनावेदक को प्रदाय की गई सामग्री की बकाया मूलधन राशि रुपये 8,25,372/- एवं अपाईन्टेड-डे दिनांक 30.04.2019 तक की ब्याज राशि रुपये 20,62,858/- की वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2019 को प्रस्तुत किया गया।

काउन्सिल द्वारा अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 2738, 08.11.2019 जारी किया गया।

आवेदक द्वारा ई-मेल दिनांक 28.12.2020 भेजकर लेख किया कि दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता से प्रकरण निराकृत हो गया है। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

प्रकरण, सुनवाई दिनांक 06.01.2021 को काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

2. सेट

प्रकरण क्रमांक एमएसईएफसी / 975 / 2019

-2-

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

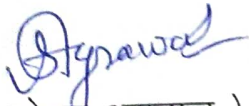
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।



(विवेक पोरवाल)

अध्यक्ष

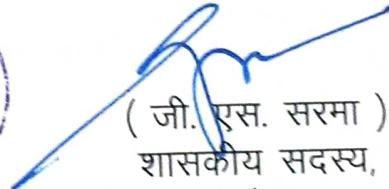
म.प्र.सूक्ष्म और लघु उद्यम
फेसिलिटेशन काउन्सिल एवं
उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल।



(शरद मोहन अग्रवाल)

शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक निदेशक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।





(जी. एस. सरमा)

शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।